रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 1979/आश्विन 3, 1901

No. 388] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 1979/ASVIN 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1979

का० आ० 544 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/79:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 545 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स मेन रेल लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी ; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा ;

और उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ,

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2(21)/75-सी०यू०सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 25th September, 1979

S.O. 544(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 545(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial under-

takings known as Messrs. Sen Raleigh Limited, Calcutta ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1980.

[File No. 2/21/75-CUC]

आदेश

का० आ० 545 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/79:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 546 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स एनसिलरी इण्डस्ट्रीज (लग्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी ; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 76 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा; और उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2(21)/75-सी०यू०सी०]

ORDER

S.O. 545(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 546(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1980.

[File No. 2/21/75-CUC]

आदेश

का० आ० 545 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/79:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 547 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी : रहेगा और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा ;

और उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2(21)/75-सी०यू०सी०]

ORDER

S.O. 546(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1980.

[File No. 2/21/75-CUC]

आदेश

का० आ० 547 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/79:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 548 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर 1976 तक निलम्बित रहेगा :

और उक्त आदेश का अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2/21/75-सी०यू०सी०]

ORDER

S.O. 547(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 548(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1980.

(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० फा० आ० 549 (अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/75 तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स एनसिलरी इण्डस्ट्रीज (क्रैंक्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी ; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा ;

और उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1979 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2/21/75-सी०यू०सी०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 548(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 549(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Cranks) Private Limited, Calcutta ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1980.

[File No. 2/21/75-CUC]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979